भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./81/2025 **10 जनवरी, 2025**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया
विषयः समापन प्रक्रियाओं के लिए eBKray नीलामी प्लेटफार्म का आज्ञापक प्रयोग

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने समापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता में सुधार लाने के प्रयासों के अनुसरण में, परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./78/2024 तारीख 29 अक्तूबर, 2024 के माध्यम से eBKray नीलामी प्लेटफार्म का प्रयोग करने के संबंध में निदेश जारी किए ।

2. दिवाला व्यावसायिकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देश दिया गया था कि वे चालू समापन प्रक्रियाओं की बाबत समस्त अविक्रीत आस्तियों के ब्यौरे अनन्य रूप से eBKray प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करेंगे और वे नीलामियों के लिए चालू मामलों के बाबत आस्तियों के विक्रय के लिए eBKray नीलामी प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेंगे ।

3. इस प्लेटफार्म को प्रारंभ से ही, उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली हैं । आज तक इस प्लेटफार्म पर 210 आस्तियों को सूचीबद्ध किया गया है और 25 नीलामियां अनुसूचित या संचालित की गई हैं । यह प्लेटफार्म इस समय प्रायोगिक पद्धति पर चलाया जा रहा है और इसके उपयोग के अनुभवों के आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा।

4. इस संबंध में, समापन प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले समस्त दिवाला व्यावसायिकों को यह निदेश दिया जाता है कि वे **1 अप्रैल, 2025** से समापन प्रक्रिया के दौरान आस्तियों के विक्रय के लिए नीलामियों का संचालन करने हेतु अनन्य रूप से eBKray नीलामी प्लेटफार्म का प्रयोग करें । इसके अतिरिक्त, यह भी निदेश दिया जाता है कि समस्त चालू समापन मामलों में अविक्रीत आस्तियों को सूचीबद्ध करने का कार्य **31 मार्च, 2025** तक पूरा कर दिया जाएगा ।

5. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक